



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U P POWER CORPORATION LTD.

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-534-कार्य/चौदह-पाकालि/2019-8(10)-के/2019

दिनांक: 09 अप्रैल, 2019

प्रबन्ध निदेशक,

स्पीड पोस्ट

पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/  
पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०,  
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ,  
केस्को, कानपुर।

विषय : मेसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर को केस्को, कानपुर में किसी भी प्रकार की निविदाओं में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार), केस्को, कानपुर के पत्र सं०-73/भण्डार/2018-19 दि० 30.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार), केस्को, कानपुर ने मै० सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, 3, अप्ट्रान स्टेट, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, पनकी, कानपुर-208022 को तत्काल प्रभाव से 03 वर्ष के लिये प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश निर्गत किये हैं।

उपरोक्त पत्र की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र को संज्ञान में लेते हुए तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,


(आर०के० श्रीवास्तव)  
उप सचिव (कार्य)

संख्या-534-(I)-कार्य/चौदह-पाकालि/2019 तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०/राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार), 96/10, बिजलीघर, परेड, केस्को कानपुर को उनके पत्र सं०-73/भण्डार/2018-19 दि० 30.01.2019 के संदर्भ में।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशाषी अभियन्ता (सम्बद्ध), मुख्य अभियन्ता, (कम्प्यूटराइजेशन), कक्ष संख्या-407, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:-यथोपरि।

  
(आर०के० श्रीवास्तव)  
उप सचिव (कार्य)

संख्या-534-(II)-कार्य / चौदह-पाकालि / 2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली भवन, पलटन बाजार, गुवाहाटी-781001,
2. अध्यक्ष, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, रेस कोर्स, बड़ोदा-390007,
3. अध्यक्ष, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, पैटर्न, तिरुवनन्तपुरम-695001,
4. सचिव, तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एन0पी0के0पी0आर0, मल्लीगल, 800ए, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002,
5. सचिव, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, शिमला (एच0पी0)-171004,
6. सचिव, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर-432008,
7. अध्यक्ष, महाराष्ट्रा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 4 तल, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई-400051,
8. सचिव, मेघालय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लूम जिंगशाल, राउण्ड रोड, सिलॉंग-793001,
9. अध्यक्ष, झाड़खण्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्जिनियरिंग बिल्डिंग, एच0ई0सी0 धुर्वा, राँची-834004,
10. अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, 7वाँ तल, बिधान नगर, कलकत्ता-700091,
11. प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग क0 लि0, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर-492013,
12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लि0, विद्युत सौधा, हैदराबाद-500082,
13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, हैदराबाद-500049,
14. प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा विद्युत पारेषण निगम लि0, शक्ति भवन, सेक्टर-06, पंचकुला, हरियाणा-134109,
15. अध्यक्ष, उ0 दिल्ली पावर लि0, ग्रिड सब-स्टेशन बिल्डिंग, हरसन लाइन, किंग्स वे कैम्प, नई दिल्ली-110009,
16. अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांसमिशन लि0, शक्ति सदन, कोटा रोड, नई दिल्ली-110002,
17. अध्यक्ष, उड़ीसा हाईड्रो पावर कारपोरेशन लि0, भुवनेश्वर-751001,
18. प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक पावर जेनेरेशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 82-रेस कोस रोड, बैंगलौर-500001,
19. प्रबन्ध निदेशक, गुजरात स्टेट एनर्जी जेनेरेशन लि0, ब्लाक-5, 3 तल, उद्योग भवन, सेक्टर-11, गाँधीनगर-382001, (गुजरात)।
20. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि0, जनपद, भुवनेश्वर-751001,
21. अध्यक्ष, जोधपुर विद्युत निगम लि0, न्यू पावर हाउस, इन्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर, राजस्थान।
22. अध्यक्ष, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन, न्यू विधान सभा मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
23. अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, जयपुर-337001,
24. प्रबन्ध निदेशक, वेस्ट बंगाल रूरल एनर्जी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, 19ए, ब्रिटिश इन्डियन स्ट्रीट 3 तल, कलकत्ता-700069,
25. सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत परिसर निगम लि0, विद्युत भवन, ज्योति नगर, आर0सी0 देव मार्ग, जयपुर-302005।
26. सचिव, दिल्ली विद्युत बोर्ड, रूम नं0-104, शक्ति भवन, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली-110019,
27. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम लि0, विद्युत नगर, हिसार-126005,
28. अध्यक्ष, (वेस्ट जोन), मध्य प्रदेश पश्चिम कहेत्रा विद्युत वितरण कारपोरेशन लि0, जी0पी0एच0 कम्पाउन्ड, पोलो ग्राउन्ड, इन्दौर।
29. निदेशक, जनरल ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्पोजल डेवलपमेन्ट ऑफ कामर्स (सप्लाय ऑफ डिविजन) जीवन त्रंग बिल्डिंग, 5-पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली-110001।
30. अध्यक्ष, नेशनल स्मॉल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0, नीयर ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली।
31. अध्यक्ष, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पटना, बिहार।


संलग्नक-यथोपरि।

(आर0के0 श्रीवास्तव)  
उप सचिव (कार्य)



# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार)

६६/१०, बिजलीघर, परेड, केस्को, कानपुर



मो०नं० : 9839105490

storekescoeh@gmail.com

पत्रांक : /भण्डार/2018-19

दिनांक : 30.01.2019 ..

पत्र सं० 230 कार्य-14/पाकालि/2019 कार्यालय ज्ञाप

क्रम सं० ७ दिनांक १/१५

सं० 774 नदे० (क००० एवं प्रश०) पाकलि/20

पत्रावली सं० ४(१०)के/१५

केस्को के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पावर एवं वितरण परिवर्तकों के मरम्मत का कार्य निम्न क्रयादेशों के तहत मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, 3 अप्टान स्टेट, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, पनकी कानपुर-208022 को आवंटित किया गया -

अ- पावर परिवर्तकों के मरम्मत हेतु

ब- वितरण परिवर्तकों के मरम्मत हेतु

1. GMJ-304/AL-25, Dt. 24.10.1999
2. GMJ-304/AL-28, Dt. 05.08.1999
3. GMJ-304 AL-97, Dt. 12.09.2001
4. GMJ-304/AL-37, Dt. 05.08.2002

1. GMJ-304/AL-72, Dt. 12.11.1998
2. GMJ-304/AL-64, Dt. 15.02.2000
3. GMJ-304/AL-82, Dt. 07.08.2003
4. GMJ-304 AL-83, Dt. 07.08.2003
5. GMJ-304/AL-84, Dt. 07.08.2003
6. GMJ-304/AL-91, Dt. 29.08.2003
7. GMJ-304/AL-122, Dt. 07.08.2003

मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर द्वारा उक्त आदेशों द्वारा मरम्मत किए गये पावर एवं वितरण परिवर्तकों में से गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त पावर एवं वितरण परिवर्तकों को मरम्मत हेतु उठाने के उपरान्त वापस न करने, यदि वापस किये तो मात्र कोर एण्ड टैंक वापस करने एवं गारण्टी अवधि के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को मरम्मत हेतु न उठाने आदि कारणों से सहायक महाप्रबन्धक (भण्डार) केस्को द्वारा निम्न विवरणानुसार मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर के विरुद्ध अग्रिम प्रकीर्ण डाला गया -

क्रम सं०	विवरण	देय धनराशि (रु०में)
1	506 / सं०म०(भ०) / परिवर्तक / अग्रिम प्रकीर्ण दिनांक 20.10.2004	46,66,384.27
2	508 / सं०म०(भ०) / परिवर्तक / अग्रिम प्रकीर्ण दिनांक 20.10.2004	1,27,020.00
3	1845/KESCO/Acctt./AO(A)/T/F Payment (Surya) Dated 20.10.2004	19,99,000.00
4	फर्म के वर्क्स से माह 9/2004 में 4,5,6 एवं 10 एम०वी०ए० पावर परिवर्तकों (अपूर्ण) की केस्को द्वारा भण्डार तक लदाई-ढुलाई एवं उतराई का व्यय	45,000.00
<b>कुल योग</b>		<b>68,37,404.27</b>

सहायक महाप्रबन्धक (भण्डार) केस्को द्वारा उक्त डाले गये अग्रिम प्रकीर्ण धनराशि की वसूली हेतु फर्म के लम्बित बीजकों की कुल धनराशि रु० 17,82,946.13 को समायोजित करते हुए पत्रांक सं० 560/भण्डार/एस०ई०/नोटिस दिनांक 18.11.2004 द्वारा सरकारी देय वसूली अधिनियम 1958 की धारा-5 के साथ पठित अमुक नियम की धारा-3 के अधीन मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर को रु० 50,54,478.14 का नोटिस प्रेषित किया गया, परन्तु सहायक महाप्रबन्धक (भण्डार) केस्को द्वारा प्रेषित धारा-3 की नोटिस के विरुद्ध मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर ने केस्को को धनराशि न देते हुए माननीय उच्च न्यायालय

Pg No. 01 of 02

6.2.19  
जी सचिव (विशेष श्रेणी)

705/ACM/2019  
05/02/2019

नि (का. प्र.)

(P)

E:\Rozi\Letters\Hindi\Letter\2 Page Letters.docx

सं० 414 पी०एस०ए०एस०-प्रथम/2019

सं० सं० (सा०प्र०)/कार्य/ज०श० एवं प्रशि०

सं० कार्य/काविनी एवं विनियम/पी०एस०

(जी०के० गुल्ला)

निजी सचिव

अध्यक्ष, उपप्रयोगकर्ता

सं० 95 सं० सं० (कार्य)/शिविर/पाकालि/2019

अपर सचिव (पराम)

35/02/19

7/2/19

इलाहाबाद में याचिका सं० 54410/2004 डाली गयी, जिसके संदर्भ में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2004 को वसूली पर स्थगनादेश जारी किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2018 को खारिज कर दिया गया, जिसके संदर्भ में केस्को के अधिवक्ता डॉ० एस०सी० यादव ने मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर से वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने का अभिमत दिया तथा अधिशाषी अभियन्ता, भण्डार केस्को के पत्र सं० 8301 दिनांक 23.01.2019 द्वारा धारा-5 के तहत अपर जिलाधिकारी (राजस्व/वित्त) कानपुर के माध्यम से वसूली हेतु प्रपत्र-2 जारी किया गया।

उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यादेशों एवं अनुबन्धों के तहत कार्य न कर केस्को को आर्थिक क्षति पहुँचायी है एवं केस्को को लगभग 14 वर्ष कानूनी कार्यवाहियों में उलझाए रखा है, साथ ही केस्को की छवि को भी धूमिल किया है।

उक्त के संदर्भ में मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, 3 अप्ट्रान स्टेट, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, पनकी कानपुर-208022 के द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत कार्य करते हुए केस्को को आर्थिक क्षति पहुँचाने, केस्को की छवि धूमिल करने एवं कानूनी कार्यवाहियों में उलझाने का दोषी पाया जाता है, जिसके लिए केस्को के अर्न्तगत मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, 3 अप्ट्रान स्टेट, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, पनकी कानपुर-208022 को तत्काल प्रभाव से 03 वर्ष के लिए काली सूची में डालते हुए किसी भी प्रकार की निविदा में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित किया जाता है।


प्रबन्ध निदेशक, केस्को

पत्रांक : 73 / भण्डार / 2018-19

तददिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, ऊर्जा भवन बाईपास रोड सिकन्दरा, आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
7. निदेशक (कार्मिक, प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
8. शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, केस्को कानपुर।
9. निदेशक (तकनीकी), केस्को, कानपुर।
10. निदेशक (वाणिज्य), केस्को, कानपुर।
11. मुख्य अभियन्ता, केस्को, कानपुर।
12. उप-महाप्रबन्धक (लेखा), केस्को, कानपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार क्रय), केस्को, कानपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), केस्को, कानपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार), केस्को, कानपुर।
16. मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, 3 अप्ट्रान स्टेट, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, पनकी कानपुर-208022।
17. केस फाइल।

  
(सी०एस०बी० अम्बेडकर)  
अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार)

Pg No. 02 of 02



# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार)

६६/१०, बिजलीघर, परेड, केस्को, कानपुर



मो०नं० : 9839105490

storekescoeh@gmail.com

पत्रांक : /भण्डार/2018-19

दिनांक : 30.01.2019

## कार्यालय ज्ञाप

830

केस्को के अर्न्तगत क्षतिग्रस्त पावर एवं वितरण परिवर्तकों के मरम्मत का कार्य निम्न क्रयादेशों के तहत मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, 3 अप्ट्रान स्टेट, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, पनकी कानपुर-208022 को आवंटित किया गया -

अ- पावर परिवर्तकों के मरम्मत हेतु

1. GMJ-304/AL-25, Dt. 24.10.1999
2. GMJ-304/AL-28, Dt. 05.08.1999
3. GMJ-304 AL-97, Dt. 12.09.2001
4. GMJ-304/AL-37, Dt. 05.08.2002

ब- वितरण परिवर्तकों के मरम्मत हेतु

1. GMJ-304/AL-72, Dt. 12.11.1998
2. GMJ-304/AL-64, Dt. 15.02.2000
3. GMJ-304/AL-82, Dt. 07.08.2003
4. GMJ-304 AL-83, Dt. 07.08.2003
5. GMJ-304/AL-84, Dt. 07.08.2003
6. GMJ-304/AL-91, Dt. 29.08.2003
7. GMJ-304/AL-122, Dt. 07.08.2003

Dir. (P&A)

प्रबन्ध निदेशक  
उपरोक्त मैसर्स

सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर द्वारा उक्त आदेशों द्वारा मरम्मत किए गये पावर एवं वितरण परिवर्तकों में से गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त पावर एवं वितरण परिवर्तकों को मरम्मत हेतु उठाने के उपरान्त वापस न करने, यदि वापस किये तो मात्र कोर एण्ड टैंक वापस करने एवं गारण्टी अवधि के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को मरम्मत हेतु न उठाने आदि कारणों से सहायक महाप्रबन्धक (भण्डार) केस्को द्वारा निम्न विवरणानुसार मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर के विरुद्ध अग्रिम प्रकीर्ण डाला गया -

क्रम सं०	विवरण	देय धनराशि (रु०में)
1	506/स०म०(भ०)/परिवर्तक/अग्रिम प्रकीर्ण दिनांक 20.10.2004	46,66,384.27
2	508/स०म०(भ०)/परिवर्तक/अग्रिम प्रकीर्ण दिनांक 20.10.2004	1,27,020.00
3	1845/KESCO/Acctt./AO(A)/T/F Payment (Surya) Dated 20.10.2004	19,99,000.00
4	फर्म के वर्क्स से माह 9/2004 में 4,5,6 एवं 10 एम०वी०ए० पावर परिवर्तकों (अपूर्ण) की केस्को द्वारा भण्डार तक लदाई-ढुलाई एवं उतराई का व्यय	45,000.00
कुल योग		68,37,404.27

क्र०सं०

6/11/19

निवेदो (क्र०सं० एवं उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड)

सहायक महाप्रबन्धक (भण्डार) केस्को द्वारा उक्त डाले गये अग्रिम प्रकीर्ण धनराशि की वसूली हेतु फर्म के लम्बित बीजकों की कुल धनराशि रु० 17,82,946.13 को समायोजित करते हुए पत्रांक 560/भण्डार/एस०ई०/नोटिस दिनांक 18.11.2004 द्वारा सरकारी देय वसूली अधिनियम 1958 की धारा-5 के साथ पठित अमुक नियम की धारा-3 के अधीन मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर को रु० 50,54,478.14 का नोटिस प्रेषित किया गया, परन्तु सहायक महाप्रबन्धक (भण्डार) केस्को द्वारा प्रेषित धारा-3 की नोटिस के विरुद्ध मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर ने केस्को को धनराशि न देते हुए माननीय उच्च न्यायालय

Pg No. 01 of 02

10/12/19  
12.02.19

E:\Rozi\Letters\Hindi Letter\2 Page Letters.docx

सं० 102 केस्को (कार्य) / विदित / पा०का०लि० / 20 19

सं० 461 पी०एस०ए०एस०-प्रथम / 2019  
सं०सं० (सा०प्र० कार्य) / ज०सं० एवं प्रशि०  
सं० कार्य / का०दि० एवं विनियम / पी०एस०

अपर सचिव (प्रथम)

35 लाख (अर्ध)  
De  
(आर० 12/19)  
संयुक्त

इलाहाबाद में याचिका सं० 54410/2004 डाली गयी, जिसके संदर्भ में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2004 को वसूली पर स्थगनादेश जारी किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2018 को खारिज कर दिया गया, जिसके संदर्भ में केस्को के अधिवक्ता डॉ० एस०सी० यादव ने मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर से वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने का अभिमत दिया तथा अधिशाषी अभियन्ता, भण्डार केस्को के पत्र सं० 8301 दिनांक 23.01.2019 द्वारा धारा-5 के तहत अपर जिलाधिकारी (राजस्व/वित्त) कानपुर के माध्यम से वसूली हेतु प्रपत्र-2 जारी किया गया।

उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यादेशों एवं अनुबन्धों के तहत कार्य न कर केस्को को आर्थिक क्षति पहुँचायी है एवं केस्को को लगभग 14 वर्ष कानूनी कार्यवाहियों में उलझाए रखा है, साथ ही केस्को की छवि को भी धूमिल किया है।

उक्त के संदर्भ में मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, 3 अप्ट्रान स्टेट, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, पनकी कानपुर-208022 के द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत कार्य करते हुए केस्को को आर्थिक क्षति पहुँचाने, केस्को की छवि धूमिल करने एवं कानूनी कार्यवाहियों में उलझाने का दोषी पाया जाता है, जिसके लिए केस्को के अर्न्तगत मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, 3 अप्ट्रान स्टेट, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, पनकी कानपुर-208022 को तत्काल प्रभाव से 03 वर्ष के लिए काली सूची में डालते हुए किसी भी प्रकार की निविदा में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित किया जाता है।

**प्रबन्ध निदेशक, केस्को**

पत्रांक : 73 / भण्डार / 2018-19

तद्दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, ऊर्जा भवन बाईपास रोड सिकन्दरा, आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
7. निदेशक (कार्मिक, प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
8. शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, केस्को कानपुर।
9. निदेशक (तकनीकी), केस्को, कानपुर।
10. निदेशक (वाणिज्य), केस्को, कानपुर।
11. मुख्य अभियन्ता, केस्को, कानपुर।
12. उप-महाप्रबन्धक (लेखा), केस्को, कानपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार क्रय), केस्को, कानपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), केस्को, कानपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार), केस्को, कानपुर।
16. मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रानिक्स, 3 अप्ट्रान स्टेट, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, पनकी कानपुर-208022।
17. केस फाइल।

(सी०एस०बी० अम्बेडकर)  
अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार)

Pg No. 02 of 02